तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल आर/6280/2006/कोटा** **श्रीमती कोमल अरोडा व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री धूकलराम कसवॉ, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री नरेन्द्र गुप्ता, अधिवक्ता अपीलार्थी
(2) श्री शिव प्रकाश चौधरी, उप राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक :

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त कोटा के निर्णय दिनांक 28–6–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उपखण्ड अधिकारी कोटा के न्यायालय में तहसीलदार लाडपुरा ने प्रार्थना पत्र वास्ते इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने स्वीकार कर ग्राम रामपुरा तहसील लाडपुरा के नवीन खसरा नम्बर 254य रकबा 0–38 हेक्टर में से 0–10 हेक्टर भूमि कम की जाकर राजकीय भूमि खाता सरकार किस्म गैर मुमकिन खडडा दर्ज करने के आदेश पारित किये। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त कोटा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 28–6–2006 के द्वारा अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4– अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि मनोहर लाल प्रत्यर्थी संख्या 3 के खाते एवं कब्जे की थी। मनोहर लाल ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 15–9–99 को खसरा नम्बर 254 की 0–38 हेक्टर भूमि में से 0–22 हेक्टर भूमि पूर्व की तरफ की अपीलार्थी वीरेन्द्र कुमार, कमल कुमार व श्रीमती प्रिया माखीजा को बेचान की है तथा 0–16 हेक्टर भूमि अपीलार्थी कोमल अरोडा व प्रकाश

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल आर/6280/2006/कोटा** **श्रीमती कोमल अरोडा व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

लालवानी को बेचान की थी। अपीलार्थी ने उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में मनोहर लाल के नाम की खातेदार टीनेन्ट के रूप में प्रविष्टि को देखकर खरीद की है। इस प्रकार अपीलार्थी वादग्रस्त आराजी के सदभावी क्रेता हैं। उनका तर्क है कि विवादित भूमि के पास कोई सरकारी भूमि नहीं है। कोई सरकारी भूमि मनोहर लाल व हमारे खाते दर्ज नही की गई है। इसलिये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय निरस्त किये जाकर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

5– बहस के खण्डन में विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष बताते हुये अपील खारिज करने का निवेदन किया।

6– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विवादग्रस्त आराजी गत खसरा नम्बर 447 रकबा 1बीघा 15विस्वा जमाबन्दी सम्बत 2032 से 2035 में महाराव राजा श्री भीमसिंह साहब बहादुर कोटा के नाम दर्ज थी। गत खसरा नम्बर 447 रकबा 1 बीघा 15विस्वा के नवीन खसरा नम्बर 254 रकबा 0–38 हेक्टर बनाये गये हैं जो मनोहर लाल पुत्र मांगी लाल जाति महाजन साकिन रामपुरा कोटा के नाम दर्ज रेकार्ड की गई है। नकल जमाबन्दी सम्बत 2057–60 में खसरा नम्बर 254 रकबा 0–38 हेक्टर भूमि में से 0–16हेक्टर भूमि मनोहर लाल पुत्र मांगी लाल द्वारा विक्रय करने के उपरान्त क्रेता कोमल अरोडा पत्नी दामोदर दास अरोडा हिस्सा 1/2 व प्रकाश लालवानी पुत्र नामामल जाति सिन्धी हिस्सा 1/2 के नाम दर्ज रेकार्ड है। शेष 0–22हेक्टर भूमि मनोहर लाल द्वारा विक्रय करने पर क्रेता वीरेन्द्र कुमार, कमल कुमार आत्मज गुरनामल जाति सिंधी के नाम दर्ज रेकार्ड है। भू प्रबन्ध विभाग ने गत खसरा नम्बर 447 रकबा 1बीघा 15 विस्वा के नवीन खसरा नम्बर 254 रकबा 0–38 हेक्टर कायम किये गये हैं। जबकि सही गणना करने पर 0–28हेक्टर ही बनते हैं। इस प्रकार 0–10हेक्टर भूमि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल आर/6280/2006/कोटा** **श्रीमती कोमल अरोडा व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधिक दर्ज की गई है। उपखण्ड अधिकारी ने उक्त त्रुटि को सुधार कर 0–38हेक्टर में से 0–10 हेंक्टर कम कर खाते सरकार दर्ज करने के आदेश पारित किये हैं। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाई जाती है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवती निष्कर्ष हैं जिनमें हम द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। 8– उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(धूकलराम कसवाँ)** **सदस्य**	